

149/1 152/1	0.040 0.012
कुल खसरा नंबर 10	कुल रकबा 0.387 हे०

2- प्रकरण में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु प्रकरण में धारा 4 की अधिसूचना प्रारूप कलेक्टर महोदय रायगढ से अनुमोदन पश्चात् धारा 4 (1) कर अधिसूचना निम्नानुसार प्रकाशन कराया गया तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु दिनांक 28.02.2018 को ग्राम में जनसुनवाई निर्धारित करते हुये गठित दल द्वारा कार्यवाही सम्पन्न किया गया -

4. दैनिक जनकर्म रायगढ दिनांक 03.02.2018
5. दैनिक इस्पात टाईम्स बिलासपुर 03.02.2018
6. ग्राम नावापारा में मुनादी एवं चस्पा दिनांक 27.04.2018

3- धारा 4 (1) के अधिसूचना का प्रकाशन उपरांत भू-अर्जन के संबंध में दिनांक 25.04.2018 को सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा ग्राम पंचायत में सरपंच एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ईशताहार का प्रकाशन कर दिनांक 11.05.2018 तक आपत्ति आमंत्रित किया गया परंतु निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रकरण में धारा 11 के तहत अधिसूचना निम्नानुसार प्रकाशन कराया गया जिसमें निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

5. छ०ग०राजपत्र भाग-1 पृ०क्रमांक 1266 दिनांक 06.06.2018
6. हरिभूमि बिलासपुर समाचार पत्र दिनांक 04.06.2018
7. इस्पात टाईम्स समाचार पत्र दिनांक 04.06.2018
8. ग्राम नावापारा में मुनादी/चस्पा दिनांक 04.06.2018

4- धारा 11 के तहत प्रकाशित उपर्युक्त अधिसूचना पर निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप प्रकरण में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचना कलेक्टर महोदय रायगढ से हस्ताक्षर पश्चात् निम्नानुसार प्रकाशन कराया गया :-

5. छ०ग०राजपत्र भाग-1 पृ०क्रमांक 2138 दिनांक 14.09.2018
6. नवभारत बिलासपुर समाचार पत्र दिनांक 25.08.2018
7. जनकर्म समाचार पत्र दिनांक 26.08.2018
8. ग्राम नावापारा में मुनादी/चस्पा एवं तहसील कार्यालय तमनार के सूचना पटल पर चस्पा दिनांक 28.08.2018

तदनुसार उपरोक्तानुसार ग्राम में मुनादी एवं अधिसूचना प्रकाशन पर निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत प्रभावित खातेदारों को समक्ष में सुनवाई हेतु व्यक्तिशः नोटिस जारी किया गया। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

5- ग्राम नावापारा की विभिन्न किस्म की भूमियों की पिछले तीन वर्षों की औसत विक्रय दर की जानकारी उप पंजीयक घरघोडा से ली गई पत्र पृथक से संलग्न है।  
असिंचित भूमि:-

औसत विक्रय भूमि खार प्रति हेक्टेयर- 1600682-00